



महिला अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, अजमेर
(बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर का संघटक महाविद्यालय)
WOMEN ENGINEERING COLLEGE, AJMER
(A CONSTITUENT COLLEGE OF BIKANER TECHNICAL UNIVERSITY, BIKANER)
Nasirabad Road, Makhupura, Ajmer - 305002

website: www.gweca.ac.in
email: establishment@gweca.ac.in

Ph. No.: 0145-2695535
Fax No.: 0145-2695102

क्रमांक : मअमअ / संस्था / 2026-27 / 1824

दिनांक: 30.09.2026

कार्यालय-ओदश

श्री चेतन सेलवाल, सहायक आचार्य को महाविद्यालय द्वारा जारी सेवा समाप्ति आदेश क्रमांक मअमअ / संस्था / 2026-27 / 1823 दिनांक: 30.09.2026 पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में कैविएट लगाने हेतु प्रकरण प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

श्री चेतन सेलवाल को आदेशित किया जाता है कि वे दिनांक 01.10.2026 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में कैविएट लेना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त कैविएट व्यय एवं जयपुर यात्रा हेतु नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं अन्य व्यय प्रतिपूर्ति किये जायेंगे।

P. Tribedi
30/9/2026
(प्राचार्या)

प्रतिलिपि :-

1. आशुलिपिक - प्राचार्या महोदया को सूचनार्थ-
2. इंजार्च कुलसचिव को सूचनार्थ
3. श्री चेतन सेलवाल को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
4. एफआईए/लेखाशाखा
5. संबंधित विभागाध्यक्ष - सूचनार्थ
6. प्रभारी अधिकारी - वेबसाइट
7. संस्थापन शाखा - निजी पत्रावली/पत्रावली संबंधित कार्मिक
8. रक्षित पत्रावली

[Signature]
30/09/26
1/2 (कुलसचिव)



महिला अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, अजमेर
(बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर का संघटक महाविद्यालय)
WOMEN ENGINEERING COLLEGE, AJMER
(A CONSTITUENT COLLEGE OF BIKANER TECHNICAL UNIVERSITY, BIKANER)

Nasirabad Road, Makhupura, Ajmer - 305002

website: www.gweca.ac.in

email: establishment@gweca.ac.in

Ph. No.: 0145-2695535

Fax No.: 0145-2695102

क्रमांक : मअमअ/संस्था/2026-27/1824

दिनांक: 30.09.2026

कार्यालय-ओदश

श्री चेतन सेलवाल, सहायक आचार्य को महाविद्यालय द्वारा जारी सेवा समाप्ति आदेश क्रमांक मअमअ/संस्था/2026-27/1823 दिनांक: 30.09.2026 पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में कैविएट लगाने हेतु प्रकरण प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

श्री चेतन सेलवाल को आदेशित किया जाता है कि वे दिनांक 01.10.2026 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में कैविएट लेना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त कैविएट व्यय एवं जयपुर यात्रा हेतु नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं अन्य व्यय प्रतिपूर्ति किये जायेंगे।

P. T. B. Bedi
30/9/2026
(प्राचार्या)

प्रतिलिपि :-

1. आशुलिपिक - प्राचार्या महोदया को सूचनार्थ
2. इंचार्ज कुलसचिव को सूचनार्थ
3. श्री चेतन सेलवाल को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
4. एफआईए/लेखाशाखा
5. संबंधित विभागाध्यक्ष - सूचनार्थ
6. प्रभारी अधिकारी - बेबसाइट
7. संस्थापन शाखा - निजी पत्रावली/पत्रावली संबंधित कार्मिक
8. रक्षित पत्रावली

[Signature]
30/09/26
(कुलसचिव)

Received
Chet 30/9/26